

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कायोलय आदेश

राजस्थान शिक्षा सेवा के व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) इतिहास /वाणिज्य के निम्नांकित कार्मिकों का दोहरा पदस्थापन/एपीओ के कारण से निम्नांकित के नाम के सामने अंकित स्थान पर संशोधन/समायोजन तत्काल प्रभाव से किया जाता है—
क्रमांक—शिविरा—माध्य/संस्था/सी—2/स्थानान्तरण—संशोधन/इतिहास—वाणिज्य/2019-20 दिनांक— 18.10.2019

नाम कार्यिक श्री/ श्रीमती/ सुन्त्री	subject	कहां से राउमावि / राबाउमावि	जिला	कहां को राउमावि / राबाउमावि	जिला	
1	2	3	4	5	6	7
1	चन्द्रमोहन बैरवा	History	राउमावि लवाण से स्थानान्तरणाधीन राउमावि खौरामुल्ता दौसा के स्थान पर	dausa	राउमावि सोनड़—लालसोट	Dausa
2	हीरा लाल रेगर	History	एपीओ—बीकानेर	Bikaner	राबाउमावि—चौमूं—गोविन्दगढ़	Jaipur
3	महेश कुमार जाटवा	History	फलासिया—झाडोल उदयपुर से स्थानान्तरणाधीन उदयपुरिया —जययुपर के स्थान पर	Jaipur	राउमावि सुलियावास—दांतारामगढ़	Sikar
4	तुलसीराम गुर्जर	History	राउमावि सामोली उदयपुर से स्थानान्तरणाधीन गाविन्दपुरा—धावाई —जययुपर के स्थान पर	Jaipur	राउमावि बीलवाड़ी—विराटनगर	Jaipur

उक्त कार्मिक संसोधित पदस्थापन स्थान पर तत्काल प्रभाव से आवश्यक रूप से कार्यग्रहण करेंगे। सम्बन्धित कार्मिकों का कार्यग्रहण/कार्यमुक्ति आवश्यकरूप से शालादर्पण के माध्यम से ही की जावें। आदेश की शेष शर्तें मूल आदेशानुसार यथावत रहेंगी।

W. H. S.
(नथमल डिलेल)

आई ए एस

नितेशक

गिरावक

દીક્ષા

पात्र-१

प्राप्ति— १८.१०.२०१९

**क्रमांक-शिविरा-माध्य /संस्था /सी-२ /स्थानान्तरण-संशोधन/ इतिहास-वाणिज्य /2019-20
प्रतिलिपि:-प्रतिलिपि निम्नांकित को सचनार्थ एवं आवश्यक कार्यालयी हेत-**

दिनांक— १८.१०.२०१९

- 1 विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार)प्रा.मा.शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर

2 संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा(युप-2)विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर

3 शासन उप सचिव, शिक्षा(युप-2)विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर

4 सम्बन्धित संयुक्त निदेशक-स्कूल शिक्षा /जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय)माध्यमिक

5 सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी माध्यमिक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त सम्बन्धित कार्मिकों के नियमानुसार कार्यग्रहण/ कार्यमुक्ति की कार्यवाही तीन दिवस के भीतर सम्पादित करवाकर निदेशालय को प्रगति देवें।

6 सम्बन्धित शाला/संस्था प्रधान को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार शाला दर्पण को तत्काल अद्यतन करावें। सम्बन्धित कार्मिकों का कार्यग्रहण/ कार्यमुक्ति आवश्यकरूप से शालादर्पण के माध्यम से ही की जावें।

7 अनुभाग अधिकारी, शाला दर्पण अनुभाग कार्यालय हाजा को उक्तानुसार कार्मिक के कार्यमुक्ति/ कार्यग्रहण की प्रभावी मोनिटरिंग करें।

8 सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाइट पर अद्यतन करने हेतु

9 सम्बन्धित कार्मिक

10 रक्षित पत्रावली

✓ संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
शीकायतेव